रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15122021-231881
CG-DL-E-15122021-231881

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 1
PART III—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 15, 2021/अग्रहायण 24, 1943
No. 14] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 15, 2021/AGRAHAYANA 24, 1943

IndiaCode

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2021

फा. सं. M/92/2021-ASD.—केंद्रीय आधार अधिनियम, 2016 की धारा 4(4) (बी) (ii) (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) (इसके बाद "उक्त अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत स्वैच्छिक आधार पर प्रमाणीकरण करने की अनुमति देता है, इस तरह के उद्देश्य के लिए, केंद्र सरकार प्राधिकरण के परामर्श से और राज्य के हित में, निर्धारित कर सकती है।

जबकि इस तरह के उद्देश्य के लिए भारत सरकार ने आधार प्रमाणीकरण हेतु सुशासन (समाज कल्याण, नवाचार ज्ञान) नियम, 2020 तैयार किया है, जिसमें स्वैच्छिक आधार पर आधार प्रमाणीकरण के लिए उद्देश्य और स्वैच्छिक आधार पर आधार का उपयोग करने की अनुमति लेने के लिए प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

जबकि भारत सरकार के दिनांक 26 नवंबर 2021 के कार्यालय ज्ञापन की फ़ाइल संख्या 13(2)/2020-EG-II(Vol-8) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित उद्देश्य के लिए आधार प्रमाणीकरण के उपयोग की अनुमति के अनुमोदन से अवगत कराया है।

परिचय (G2G और G2C एप्लिकेशन के लिये उपयोगकर्ताओं के ई केवाईसी तथा सिंगल साइन आन को सत्यापित करने हेतु)

परिचय में आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक आधार पर है और उपयोगकर्ता संगठन उपयोगकर्ता के निजी विवरण के सत्यापन के वैकल्पिक साधन प्रदान करेंगे।

एनआईसी आधार अधिनियम 2016, आधार विनियमन 2016 के प्रावधानों और समय-समय पर यूआईडीएआई द्वारा जारी किये गये कार्यालय ज्ञापनों, परिपत्रों और दिशानिर्देशों का पालन करेगा।

सीमा खन्ना, वैज्ञानिक- जी

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(National Informatics Centre)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2021

F. No. M/92/2021-ASD.—Under section 4(4)(b)(ii) of the Central Aadhaar (Targeted delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as "the said Act"), allows performing authentication on voluntary basis, for such purpose, as the Central Government in consultation with the Authority, and in the interest of State, may prescribe.

Whereas for such purpose Government of India has framed the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation Knowledge) Rules, 2020 wherein the Purposes for Aadhaar Authentication on Voluntary basis and process to be followed to seek permission to use Aadhaar on Voluntary basis.

Whereas Government of India vide Office Memorandum File No. File No. 13(2)/2020-EG-II(Vol-8) dated 26th November 2021 has conveyed the approval of the Competent Authority to allow use of Aadhaar Authentication for purpose:

Parichay (eKYC and verification of Users of Single Signon Platform for G2G and G2C applications)

Aadhaar Authentication in Parichay is on voluntary basis and user organizations shall provide alternate means of verifications of the user's personal details.

NIC shall comply with provisions of Aadhaar Act 2016, Aadhaar Regulation 2016 and the O.Ms, circulars and guidelines issued by UIDAI from time to time.

SEEMA KHANNA, Scientist-G

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.12.15 22:32:23 +05'30'